

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय द्वारा व्याख्याता स्कूल शिक्षा राजनीति विज्ञान डीपीसी 2019-20 से पदोन्नति पदस्थापन आदेश दिनांक 22.06.2019 को जारी किये गये थे, में संबंधित कार्मिक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर कॉलम संख्या 04 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है-

क्र. सं.	आदेश दिनांक व आदेश में क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (श्री. श्रीमती. कुमारी)	जारी संशोधन जो किया जाना है।
1	शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/राज0 विज्ञान/डीपीसी/2019-20 दिनांक 22-06-19/212	उदयवीर यादव - रामावि झोटडा धितलवाना, जालौर	क्रम संख्या 212 पर कॉलम संख्या 09 में UDAIVEER YADAV के स्थान पर UDAY VEER YADAV पढा जावें।
2	शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/राज0 विज्ञान/डीपीसी/2019-20 दिनांक 22-06-19/256	राधेश्याम शर्मा - रामावि सैला, बाडमेर	क्रम संख्या 256 पर कॉलम संख्या 10 में रामावि सैला, बाडमेर के स्थान पर राउमावि सैला, बाडमेर पढा जावें।
3	शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/राज0 विज्ञान/डीपीसी/2019-20 दिनांक 22-06-19/140	जगदीश चन्द मंत्री - राउमावि धामनियां, भीलवाडा	क्रम संख्या 140 पर कॉलम संख्या 09 में JAGDISH CHAND MANTRI के स्थान पर JAGDISH CHANDRA MANTRI पढा जावें।

शेष शर्तें मूल पदोन्नति आदेशानुसार यथावत रहेंगी।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 25 / 06 / 2019

क्रमांक-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/डीपीसी/2019-20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा.....।
4. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय.....।
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
6. संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित आशार्थी।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर।

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश


इस कार्यालय के आदेश क्रमांक- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-ओए/6004/चयन/2019-20 दिनांक- 19.06.2019 के द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा डीपीसी में संलग्न सूची में कार्मिक को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) इतिहास की रिक्तियों के प्रति चयन, उनके सम्मुख अंकित चयन वर्ष हेतु किए जाने के फलस्वरूप इन्हें प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) इतिहास के पद पर राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के पे-मेट्रिक्स वेतन लेवल नम्बर-12 में पदोन्नति प्रदान कर इनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मि जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी /प्रधानाचार्य इसकी सुनिश्चितता करेंगे। संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी सम्बन्धित पदोन्नत कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्मतिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक रहेगा, अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई-मेल commsecedu@yahoo.com से तुरंत सूचित करेंगे।

पदोन्नत कार्मिक की यदि अर्न्तमण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति होने पर ऐसे कार्मिक को इस कार्यालय को वस्तुस्थिति बतलाते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यमुक्त किया जावेगा।


पदोन्नत कार्मिक यदि अपनी पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है, तो लिखित में प्रार्थना पत्र दिनांक- 28.06.2019 तक संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगा और संस्था प्रधान का उत्तर दायित्व होगा कि वो पदोन्नत कार्मिक को दिनांक- 28.06.2019 (परित्याग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में भी) को आवश्यक रूप में नवीन पदोन्नत स्थान हेतु कार्यमुक्त करेगा। पदोन्नत कार्मिक को दिनांक- 29.06.2019 तक पदोन्नति पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। संस्था प्रधान संबंधित कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करावें।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिक का डीपीसी वर्ष 2019-20 होने बाबत इन्द्राज सम्बन्धित कार्मिक की सेवापुरस्तिका एवं सम्बन्धित अभिलेखों में इन्द्राज करते हुए तत्सम्बन्धित कार्यवाही अमल में लायी जानी सुनिश्चित की जावें। सम्बन्धित संस्था प्रधान कार्मिक की कार्यमुक्ति / कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करावें।


(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/इति-वाणि/इतिहास/डीपीसी पदस्थापन/2019-20/3 दिनांक- 25.6.19
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत-


1. शासन सचिव-शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(गुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर
5. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
6. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि शाला दर्पण पर कार्मिक विवरण अद्यतन आवश्यक रूप से किया जावें।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु
8. संबंधित अधिकारी/कार्यालय/संस्थाप्रधान/कार्मिक
9. सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/सी-ओएसी


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/इति-वाणि/इतिहास/डीपीसी पदस्थापन/2019-20/3

दिनांक-25.6.19

क्रसं	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता अवधि	नाम अस्यर्थी	वर्म	जन्मतिथि	लिंग	पदस्थापन स्थान उप्रावि/बाउप्रावि/ राउमावि/राबाउमावि	जिला	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि	जिला	
1	6769	0	2011-2012	PREETIKA		15/07/1980	F	आर आर व्या-जीव राउमावि जेजूसर, झुझुनू	JHUNJHUNU	SETH GANESH NARYAN SHIV BUX RAY SONTHALIA GOVT. SR. SEC. SCHOOL, JAKHAL, NAWALGARH (08050705504)(NAWALGARH)	JHUNJHUNUN
2	959	0	2003-2004	MANGI LAL MEENA	ST	01/01/1966		राउप्रावि रेगरवस्ती, चनाना झुझुनू	JHUNJHUNU	GOVT. ADARSH SR. SEC. SCHOOL URIKA, SURAJGARH (08050409609)(SURAJGARH)	JHUNJHUNUN
3	3256	0	2006-2007	DINKAR SHARMA		17/03/1981	आर आर व्या-जीव आर पी. समसा झोटवाडा जयपुर	JAIPUR	GOVT ADARSH SEN. SEC. SCHOOL JAHOTA, JALSU (08122901505)(AMBER)	JAIPUR	
4	1313	1	2011-2012	JAGDISH CHAND YADAV		25/05/1960		राउप्रावि फतियाबाद, अलवर	ALWAR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL, JATGANWARA, BLOCK-BEHROR, ALWAR, BEHRORE (08060106303)(BEHROR)	ALWAR
5	4770	0	2011-2012	ANAND KUMAR CHAWALA	SC	28/02/1976	आर आर व्या-इति उडपुरा चित्तौडगढ	राउमावि CHITTORGARH	CHITTORGARH	यथावत	CHITTORGARH
6	8467	0	2011-2012	HARBHAGWAN SINGH		08/08/1984	आर आर व्या पंजाबी राउमावि, 25 एफ गुलाबेवाला गंगानगर	GANGANAGAR	GOVT. SR. SEC. SCH. PATLI, SADULSHAHAR (08010306502)(SADULSHAHAR)	GANGANAGAR	


(नथमल डिडेल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-ओए/6004/चयन/2019-20 दिनांक- 19.06.2019 के द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए) के प्राधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा डीपीसी में संलग्न सूची में कार्मिक को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) वाणिज्य की रिक्तियों के प्रति चयन, उनके सम्मुख अंकित चयन वर्ष हेतु किए जाने के फलस्वरूप इन्हें प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) वाणिज्य के पद पर राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के पे-मेट्रिक्स वेतन लेवल नम्बर-12 में पदोन्नति प्रदान कर इनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्राधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मि जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी /प्रधानाचार्य इसकी सुनिश्चितता करेंगे। संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी सम्बन्धित पदोन्नत कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्मतिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक रहेगा, अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई-मेल commsecedu@yahoo.com से तुरंत सूचित करेंगे।

पदोन्नत कार्मिक की यदि अर्न्तमण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति होने पर ऐसे कार्मिक को इस कार्यालय को वस्तुस्थिति बतलाते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

पदोन्नत कार्मिक यदि अपनी पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है, तो लिखित में प्रार्थना पत्र दिनांक- 28.06.2019 तक संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगा और संस्था प्रधान का उत्तर दायित्व होगा कि वो पदोन्नत कार्मिक को दिनांक- 28.06.2019 (परित्याग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में भी) को आवश्यक रूप में नवीन पदोन्नत स्थान हेतु कार्यमुक्त करेगा। पदोन्नत कार्मिक को दिनांक- 29.06.2019 तक पदोन्नति पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। संस्था प्रधान संबंधित कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करावे।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिक का डीपीसी वर्ष 2019-20 होने बाबत इन्द्राज सम्बन्धित कार्मिक की सेवापुस्तिका एवं सम्बन्धित अभिलेखों में इन्द्राज करते हुए तत्सम्बन्धित कार्यवाही अमल में लायी जानी सुनिश्चित की जावे। सम्बन्धित संस्था प्रधान कार्मिक की कार्यमुक्ति / कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करावे।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/इति-वाणि/वाणिज्य/डीपीसी पदस्थापन/2019-20/3 दिनांक- 25.6.19
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत-

1. शासन सचिव-शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर
5. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
6. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि शाला दर्पण पर कार्मिक विवरण अद्यतन आवश्यक रूप से किया जावे।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु
8. संबंधित अधिकारी/कार्यालय/संस्थाप्रधान/कार्मिक
9. सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/सी-ओएसी




संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/इति-वाणि/वाणिज्य/डीपीसी पदस्थापन/2019-20/3

दिनांक- 25.6.19

क्रसं	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता अवधि	नाम अभ्यर्थी	वर्ग	जन्मतिथि	लिंग	पदस्थापन स्थान उप्रावि/बाउप्रावि/ राउमावि/राबाउमावि	जिला	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि	जिला	
1	2245	A1	2007-2008	CHANDRA SINGH		01.12.1962		राउप्रावि, देरोल रेवदर सिरोही	SIROHI	ADARSH GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL, REODAR, REODAR (08190512814)	SIROHI


(नथमल डिडेल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 24.06.2019 के डीपीसी 2019-20 (व्याख्याता-इतिहास) द्वारा वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता-इतिहास के पद पर चयनित कार्मिकों के पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश जारी किए गए थे। उक्त आदेश में निम्नांकित कार्मिकों के नाम के आगे कम्प्यूटर तकनीकी त्रुटिवश सहवन से क्रम संख्या 41 श्री सुरेश कुमार यादव, वअ रामावि नीमाना कोटा से GOVT SENIOR SEC. SCHOOL TUNKLIYA, MERTACITY (08140310004) NAGAUER एवं क्रम संख्या 50 पर श्री बाबू लाल, वअ बैर की ढाणी जुजाणी, जालोर से ADARSH GOVT. SR. SEC. SCHOOL VATERA, BHINMAL (08180402301) JALOR किया गया था लेकिन समस्त दस्तावेजों को देखने पर पाया गया कि यह त्रुटिवश छप गया था जबकि प्रार्थी द्वारा सहमति पत्र में श्री सुरेश कुमार यादव, वअ रामावि नीमाना कोटा से GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL HINGONIYA, SANGOD (08300511701) KOTA के लिए तथा श्री बाबू लाल, वअ बैर की ढाणी जुजाणी, जालोर से GOVT. SR. SEC. SCHOOL JERAN, BHINMAL (08180404702) JALOR पर सहमति दी गई थी जोकि रिक्त थी एवं परामर्श शिविर में दर्शायी गयी रिक्तियों में दर्शायी गयी थी।

अतः श्री सुरेश कुमार यादव, वअ रामावि नीमाना कोटा से पदोन्नति पर पदस्थापन GOVT SENIOR SEC. SCHOOL TUNKLIYA, MERTACITY (08140310004) NAGAUER के स्थान पर GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL HINGONIYA, SANGOD (08300511701) KOTA तथा श्री बाबू लाल, वअ बैर की ढाणी जुजाणी, जालोर का पदोन्नति पर पदस्थापन ADARSH GOVT. SR. SEC. SCHOOL VATERA, BHINMAL (08180402301) JALOR के स्थान पर GOVT. SR. SEC. SCHOOL JERAN, BHINMAL (08180404702) JALOR संशोधित किया जाता है।

आदेश की शेष शर्तें मूल पदोन्नति आदेशानुसार यथावत रहेगी।



(नथमल डिडेल)

IAS


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/इति-वाणि/इतिहास/डीपीसीपदस्थापन/2019-20 दिनांक-25/6/19
प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 उप शासन सचिव, शिक्षा(युप-2)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
- 2 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- 3 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा,
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु।
- 6 संबन्धित संस्था/शाला/प्रधानाचार्य को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करवावे।
- 7 सम्बन्धित कार्मिक
- 8 अनुभाग अधिकारी-सी-8/निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर